

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग
(निदेशालय जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।)

क्रमांक एफ 19(3)DWDSC/NWDPR/2013/1493-1545 जयपुर, दिनांक 26/9/20

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद


विषय:- एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. योजनान्तर्गत समर्पित की जाने वाली राशि की सूचना भिजवाने के बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 2658-718 दिनांक 15.07.2013 के द्वारा एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं को बन्द करने के निर्देश दिये गये थे। इसके निरन्तरता में यह भी निर्देशित किया गया था कि योजनान्तर्गत कोई नवीन कार्य नहीं करवाये जावें एवं पूर्व में कराये गये कार्यों का भुगतान जिले/पंचायत समिति/जलग्रहण समिति में उपलब्ध राशि से किया जाकर अवशेष राशि पुनः राज्य सरकार को लौटा दी जावे।

कतिपय जिलों में उपलब्ध राशि से ज्यादा के कार्य मार्च 2013 तक करवा लिये गये थे। जबकि अब भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में करवाये गये कार्यों का भुगतान किया जाना शेष है।

अतः आप अपने जिले के NWDPR/ योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों एवं भुगतान की समीक्षा करें तथा पेंडिंग लाइएविलिटीज की राशि तथा राज्य सरकार को समर्पित की जाने वाली राशि की सूचना तत्काल भिजवाने का श्रम करें।


निदेशक

क्रमांक एफ 19(3)DWDSC/NWDPR/2013/1493-1545 जयपुर, दिनांक 26/9/20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, निदेशक जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी./प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
4. समस्त उपनिदेशक, निदेशालय, जयपुर
5. अधिशाषी अभियंता, (भू-संसाधन) जिला परिषद.....को भेजकर लेखकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर निदेशालय को अवगत करावें।
6. ए.सी.पी. निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


निदेशक